न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 67 / 2020 (2020 / 00386)

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 23.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 208 / 134 चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 123 / 119 में प्रार्थी का नाम महेन्द्र पुत्र चन्दगीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जगदीश की बजाऐ महेन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता चन्गीराम के महेन्द्र नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र चन्गदीराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़ीछानी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में जगदीश की बजाऐ महेन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितो पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम महेन्द्र के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम जगदीश दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश के स्थान पर महेन्द्र दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी सरकारी योजनाओं का आनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम महेन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 208 / 134 व चक 7 जेएसएल के खाता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संख्या 123/119 में प्रार्थी का नाम जगदीश दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की व प्रार्थी स्वयं द्वारा एवं प्रार्थी के भाई कुरड़ाराम द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश कर नाम संशोधन करने हेतु निवेदन किया तथा शपथ पत्र के तथ्य जानकारी में होना बताया जो सही होना स्वीकार किया गया।

तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 14.12.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें नाम संशोधन करने हेतु अभिशंषा की गई है। जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 208/134 व चक 7 जेएसएल के खाता संख्या 123/119 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र चन्दगीराम के स्थान पर महेन्द्र पुत्र चन्दगीराम दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी के भाई कुरड़ाराम ने अपना शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र चन्दगीराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 208/134 चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 123/119 में प्रार्थी का नाम ''महेन्द्र के स्थान पर **महेन्द्र उर्फ जगदीश''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच महेन्द्र पुत्र चन्दगीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से महेन्द्र पुत्र चन्दगीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए महेन्द्र/जगदीश ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ